राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं०एफ.6(179)परि / टैक्स / एचक्यू. / 95 / 2 डी   जयपुर, दिनांक : 1.7.2003

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6 (179) परि / टैक्स / एचक्यू / 95 / 2 सी, दिनांक 1.3.2002 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन, करती है, अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति ''उसके स्तम्भ 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विहित करती है।'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''अधिकतम 25,000 रु. के अध्यधीन रहते हुए उसके स्तम्भ 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विहित करती है, अर्थात् :–'' प्रतिस्थापित की जायेगी ।
2. उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति ''15'', आयी हो, उसके स्थान पर अभिव्यक्ति ''1.25'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव